न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ

प्रकरण संख्या 32/2019 दिनांक 18–10–2019

प्रार्थना पत्र

(अन्तर्गत धारा 136 राजस्व भू प्रबन्ध अधिनियम 1956)

उनवान

श्री रामचन्द्र पिता चम्पालाल टांक निवासी भादसोडा

.... प्राथी

।। बनाम ।।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

.... विपक्षी

:: आदेश ::

पत्रावली पेश हुई । प्राथी रामचन्द्र पिता चम्पालाल टांक जाति कलाल निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम भादसोडा तहसील भदेसर की जमाबन्दी में भू प्रबन्ध की अशुद्दि में साबिक आराजी नम्बर 618/2मी रकबा 0.02 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 788 रकबा 0.02 हैक्टैयर बिलानाम आबादी के स्थान पर खसरा नम्बर 783 रकबा 0.02 हैक्टैयर दुरूस्त कराने का निवेदन किया है ।

प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का भादसोडा, भू0अ0नि0 भादसोडा एवं तहसीलदार भदेसर की रिपोर्ट ली । ग्राम पंचायत भादसोडा द्वारा भी अनापत्ति प्रकट की गई है । प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपार्ट तहसीलदार भदेसर अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार भदेसर एवं ग्राम पंचायत भादसोडा की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भादसोडा की साबिक आराजी नम्बर 618/2मी रकबा 02 बीस्वा एवं भू प्रबन्ध से कायम व जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 788 रकबा 0.02 हैक्टैयर के बजाय खसरा नम्बर 783 रकबा 0.02 हैक्टैयर बिलानाम आबादी (निजी रूपान्तरित) आशय से दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है । तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।

निर्णय सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner